सं. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू.(ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003.

* * *

दिनांक : 10 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषय :- पेंशनभोगियों/कुटुम्ब पेंशनभोगियों के पेंशन में संशोधन इत्यादि के संबंध में छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन – दिनांक 1.1.2006 को अथवा इसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके सरकारी कर्मचारियों को पूर्ण पेंशन की स्वीकृति ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में पेंशन, सेवानिवृत्ति, मृत्यु/सेवा उपदान/कुटुम्ब पेंशन/नि:शक्तता पेंशन और अनुग्रह पूर्ण एकमुश्त मुआवजा को विनियमित करने वाले नियमों में संशोधन करने हेतु इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 द्वारा आदेश जारी किए गए थे । उस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.2 और पैरा 5.3 के अनुसार ज्यों ही कोई सरकारी कर्मचारी अर्हक सेवा के 20 वर्ष/10 वर्ष की पूरी करने पर पेंशन का हकदार हो जाता है, उसे पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त परिलब्धियों अथवा औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत, इनमें उसके लिए जो भी ज्यादा लाभकारी हो, की दर से भुगतान किया जाएगा । उक्त कार्यालय ज्ञापन के पैरा 5.4 की शर्तों के अनुसार ये संशोधित प्रावधान 2.9.2008 से प्रवृत्त हो गए हैं और उस तारीख को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे । बाद में, कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 11.12.2008 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि 1.1.2006 को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों का पेंशन पिछले 10 महीनों के दौरान प्राप्त परिलब्धियों पर अथवा औसत परिलब्धियों, इनमें से उसके लिए जो ज्यादा लाभकारी हो, के आधार पर परिकलित किया जाएगा, लेकिन उसकी पेंशन 33 वर्षों की अर्हक सेवा पूरी होने पर पेंशन के अनुपात में जारी रहेगी । इस विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 के पैरा 5.4 को उस सीमा तक संशोधित कर दिया गया था ।

2. इस विषय पर सरकार द्वारा विचार किया गया है । इस संबंध में जारी अनुदेशों/आदेश के आंशिक संशोधन में अब यह निर्णय लिया गया है कि 33 वर्ष की अर्हक सेवा को पूर्ण पेंशन के साथ जोड़ा जाना 2.9.2008 के बदले 1.1.2006 से समाप्त कर दिया जाएगा । कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 के पैरा 5.2 और 5.3 में पेंशन के परिकलन हेतु संशोधित प्रावधान 1.1.2006 से प्रवृत्त हो जाएंगे और उस तारीख को अथवा उसके बाद सेवानिवृत्त हो चुके/होने वाले सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे । पैरा 5.4 में उस सीमा तक आगे और संशोधन माना जाएगा ।

3. उपर्युक्त संशोधित प्रावधानों के परिणामस्वरूप, कार्यालय ज्ञापन सं. 38/37/08- पी. एंड पी. डब्ल्यू.(ए) दिनांक 2.9.2008 के पैरा 7.1 के आंशिक संशोधन में, पेंशन तथा उपदान के गणन के उद्देश्यार्थ अर्हक सेवा के वर्षों को जोड़े जाने का वर्तमान लाभ 1.1.2006 से वापस हो जाएगा ।

4. समग्र परिकलन में, इन अनुदेशों पर आधारित संशोधन की तारीख तक बकाया सहित संशोधित उपदान और संशोधित पेंशन को ध्यान में रखा जाए । तथापि, पहले ही निपटा दिए गए मामलों में कोई वसूली नहीं की जाएगी ।

5. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया जाता है कि वे पेंशन के संशोधन के मामलों का निपटारा करते समय उपर्युक्त परिवर्तनों/स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखें । उन्हें यह भी सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त विषय पर उन्हें पेंशनभोगियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का, इस विभाग को अग्रेषित किए बिना ही निपटारा कर दें ।

6. यह वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) की सहमति से उनके यू.ओ. सं. 375/ईवी/2009 दिनांक 19.11.2009 द्वारा जारी किया जाता है ।

7. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों के कर्मचारियों पर इनके लागू होने के संबंध में ये आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से जारी किए जाते हैं ।

(राज सिंह)
निदेशक

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग ।
2. सभी पेंशनभोगी संघ ।

कृपया http://pensionersportal.gov.in का अवलोकन करें ।